न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 07/2023
अनवान : –

1. सोनू पुत्र उग्रसेन जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. उग्रसेन पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. रतनी पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामेती पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सुनिल कुमार पुत्र उग्रसेन जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. नितेश कुमार पुत्र उग्रसेन जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17|4|23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 14/13 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि पूर्व में वादी के दादा जोतराम के नाम दर्ज थी। वादी का दादा जोतराम फौत हो चुका है बाद फौतगदी वाद भूमि उनके पुत्रगण एवं पुत्रीयान प्रतिवादी स0 1 ता 4 रोशनी के नाम दर्ज हुई तथा जोतराम का एक पुत्र बृजमोहन व बृजमोहन की पत्नी रोशनी भी लावल्द फौत हो चुके है, इनके नाम दर्ज कृषि भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान उसके पति के भाई एव बहिन हुए तथा उनके नाम दर्ज कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 5 ता 6 प्रतिवादी स0 1 के हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 की बुआ एवं प्रतिवादी स0 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं चाहती है अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1, 5 व 6 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हिस्सा भाग वाद भूमि में वादी, प्रतिवादी स0 1, प्रतिवादी स0 5, प्रतिवादी स0 6 प्रत्येंक 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 एवं मृतक रोशनी का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है एवं इन्ही आशयों की न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 ने न्यायालय में उपस्थित राजीनामा पेश किया कि रोही मौजा 16 एनटीआर के खाता स0 14/13 की कुल 4.0480 हैक्ट जो की प्रतिवादी स0 1 ता 4 एवं रोशनी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 4 हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 5 व 6 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हकत्याग मृतक रोशनी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का नाम कलमजन कर उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 5 व 6 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त भूमि का मुताबिक राजीनामा के अनुसार वादी प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार प्रतिवादी स 1, 5 व 6 के नाम दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र एवं एतराज नही है हमारी पूर्णतया सहमति है।हम पक्षकारान भविष्य में उक्त वाद भूमि बाबत कोई दावा आपत्ति नही करेंगे। प्रतिवादी स0 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया गया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी स0 5 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पर्चा खतौन रोही मौजा 16 एनटीआर ईएक्सपी–1, पर्चा खतौन रोही मौजा 16 एनटीआर ईएक्सपी–2, असल प्रति सदस्य प्रमाण पत्र ईएक्सपी–3, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रोशनी ईएक्सपी–4, रोही मौजा 16 एनटीआर के खाता स0 14/13 जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ईएक्सपी–5 आदि प्रदर्श करवाए। फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बृजमोहन आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का राजीनाम/इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह [illegible] उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकार [illegible] वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादाला[illegible] जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 5 व 6 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 व 6 द्वारा राजीनाम एवं प्रतिवादी स0 5 द्वारा इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रेतिवादीगण को कोई एतराज नही है।। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर राजीनामा/ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 14/13 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 4 व मृतक रोशनी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए राजीनामा/इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 14/13 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 4 व मृतक रोशनी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में प्रतिवादी स0 2 ता 4 व मृतक रोशनी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1, प्रतिवादी स0 5 व प्रतिवादी स0 6 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-1-4-12-8 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:48 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 07/2023

अनवान : –

1. सोनू पुत्र उग्रसेन जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. उग्रसेन पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. रतनी पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामेती पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सुनिल कुमार पुत्र उग्रसेन जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. नितेश कुमार पुत्र उग्रसेन जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 07 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 14/13 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 4 व मृतक रोशनी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में प्रतिवादी स0 2 ता 4 व मृतक रोशनी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1, प्रतिवादी स0 5 व प्रतिवादी स0 6 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.4.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:48 IST
Reason: SelfAttested